

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अ.नं. 41

बनाम

श. 51 र. 14

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

468/24

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
06.12.24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अनोप</u></p> <p>पिता श्री <u>श. 51 र. 14</u></p> <p>निवासी- <u>बोली डा खानत</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>अनोप (फ.ह.अ.सि.म.)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>44</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>1.1200</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>अनोप (फ.ह.अ.सि.म.)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>44</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>1.1200</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500</u> रुपये अक्षरे <u>प.र.स.ह.स.</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(<u>वी.के.एस.</u>) सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>